

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो राजेंद्र शिवंत उपाध्यायी शिवंत 2. वर्तमान धारित पद उपाध्यायी शिवंत  
 3. वर्तमान वेतन 31500/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 03/07/2019

उस स्थान, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो।	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिब किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विपत्त, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा शर्तों की तारीख और जिससे अधिब की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	संपत्ति से वार्षिक आय	अधियुक्ति
	ग्रह तथा अन्य ध्वन	पूँजि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उज्जैन शिवंत उज्जैन (नय.)		खेती की जमीन उज्जैन 12 बिस्वा पूर्व से ग्राम गौरावा तह. शिवपुरी	उत्पत्त रु० बजाना	स्वयं	पैट्टा पिताजी द्वारा मेरे नाम पर दुखारि	50000/- रु०	

हस्ताक्षर ... Jayendra ...  
 नाम ... राजेंद्र शिवंत ...  
 पद ... उपाध्यायी शिवंत शिवंत

यह तालिका का एक हिस्सा है।  
 ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के मन्वर्ध में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवकों (अन्वरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम वेतनी, द्वितीय वेतनी तथा तृतीय वेतनी सेवा के प्रत्येक कर्मचारी से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में प्रवेशी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पहली की अवधि के परवाना यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वाधिनत्व की तथ्य उसके द्वारा अधिब आयना उस विवरण में भिन्नी या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे हैं।